न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।

पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय

ए0बी0पी0– 492 / 2026

(चण्डी थाना कांड संख्या– 218 / 2026)

इन्दु देवी बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
25.05.2026	आवेदिका इन्दु देवी की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र जो धारा– 303(2), 317(4), 3(5) बी0 एन0 एस0 के तहत चण्डी थाना कांड संख्या– 218 / 2026 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि अभियोजन आवेदिका की ओर से इससे पहले किसी भी सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में किसी भी प्रकार का नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है और न लम्बित है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका निर्दोष है। आवेदिका को सिर्फ संदेह के आधार पर ही वर्तमान मुकदमा में फंसाया गया है। उपरोक्त मुकदमा में आवेदिका के पास से चोरी की गयी कोई भी समान बरामद नहीं हुआ हें आवेदिका घर में रहने वाली महिला है इनको बाहर के कार्यों पर क्या ही जानकारी हो सकती है। आवेदक 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध नहीं करते हैं। सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि रंजीत कुमार की भैंस का सिंग टूटी हुई थी, दूसरी भैंस की सिंग गोलाकार थी और भैंस का बच्चा लगभग तीन साल का था और एक लगभग 6 महीने का कड़ा था। दिनांक 14.03.2026 को करीब रात्रि 11 बजे सुचक के घर से अज्ञात लोगों द्वारा चोरी कर लिया गया था जिसका आवेदन श्रीमान् के यहाँ दिनांक 15.03.2026 को अज्ञात चोरों के विरूद्ध किया गया था। सुचक थाना में आवेदन देने के बाद खोजबीन करता रहा तो पता चला कि उदय प्रसाद, वाल्मिकी प्रसाद उर्फ मलका प्रसाद के यहाँ गए हैं तो ग्रामीण के सहयोग से मुर्गियाचक एक भैंस जिसका सिंग गोलाकार था बरामद हुआ तथा अन्य भैंस व एक काड़ा बरामद नहीं हुआ और जानवरों की खोजबीन करता रहा तो पता चला कि उदय प्रसाद पटना का है। वाल्मिकी प्रसाद उर्फ मलका प्रसाद पत्नी का नाम ना मालूम बताएं कि सुचक की भैंस दूसरी जगह हटा दी गई है। इसके बाद कुछ नहीं बताए। सूचक को विश्वास है कि उपरोक्त लोगों के द्वारा उसकी भैंस चोरी की गई है प्रमाण के रूप में एक भैंस का फोटो इस आवेदन के साथ लगाया गया है। सुना। कांड दैनिकी एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि इस याचिका के पारा 3 के तहत आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। रात में भैंस की चोरी का केस सुचक के द्वारा किया गया है। प्रार्थी महिला है जो यह कहने पर आरोपित हुई है कि भैंस दूसरी जगह हटा दी गई है। अतः आवेदकों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को तद्नुसार **स्वीकृत** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आवेदकगण के गिरफ्तार होने या न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने पर उसे 10,000	

लगातार...

रूपये के दो समान प्रतिभू के साथ बंध पत्र निष्पादित किये जाने पर न्यायालय की संतुष्टी पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश–V,
हिलसा (नालंदा)।

Date of Order	25.05.2026
Date of Reserving Order	
Uploading date	03.06.2026
Uploaded by	MD GUFRAN (STENO)